राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (51) परि/नियम/मु0/2009/12104 जयपुर, दिनांक : 25.10.2012

कार्यालय आदेश 20/2012

विषय :– तैयारशुदा ड्राईविंग लाईसेंस के वितरण के संबंध में।

परिवहन विभाग में ड्राईविंग लाईसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा करने पर पाया गया है कि ड्राईविंग टेस्ट (ट्रायल) के उपरान्त लाईसेंस तैयार कर आवेदक को उपलब्ध कराने में कुछ समय लग जाता है। इसी कारण विभागीय नागरिक अधिकार पत्र एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में भी उक्त समयावधि दो दिवस निर्धारित की गयी है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को तैयार शुदा ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अगले कार्य दिवसों में पुनः परिवहन कार्यालय आना पडता है। इससे आवेदक के श्रम एवं धन की हानि होती है, साथ ही किसी मध्यस्थ द्वारा भी आवेदक की ओर से लाईसेंस प्राप्त करने की संभावना भी उत्पन्न होती है। तैयार लाईसेंस किसी ओर व्यक्ति द्वारा ले जाने एवं आवेदक तक न पहुंच पाने की शिकायतें भी कई बार प्राप्त होती है।

इस समस्या के समाधान एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु निर्णय लिया गया है कि यदि कोई आवेदक लाईसेंस के आवेदन पत्र के साथ, स्वयं का पता लिखा हुआ, रजिस्टर्ड डाक शुल्क के टिकट लगा हुआ लिफाफा प्रस्तुत करें एवं ड्राईविंग लाईसेंस डाक से भिजवाने का आवेदन करें तो उसे आवेदक के खर्च एवं जिम्मेदारी पर स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

इस आशय की सूचना सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय टी. वी. चेनल्स के माध्यम से जन साधारण को दी जावे, समस्त परिवहन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जावे एवं कार्यालयों में स्थापित हैल्प डैस्क के माध्यम से लाईसेंस के अभ्यार्थियों को सूचित किया जावे ताकि उक्त व्यवस्था का लाभ अधिक से अधिक अभ्यार्थी प्राप्त कर सके।

परिवहन आयुक्त
एवं अति0 मुख्य सचिव

DSR/Rules/Letter/hindi letter